

भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3079
(08 अगस्त, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए)

डीडीयू-जीकेवाई के अंतर्गत विशेष शिक्षा

3079. श्री मोहनभाई कल्याणजी कुंडारिया:
श्री दिनेश लाल यादव 'निरहुआ':
श्री दीपसिंह शंकरसिंह राठौड़:
श्री गोपाल जी ठाकुर:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू- जीकेवाई) के अंतर्गत युवाओं को विशेष रूप से गुजरात और बिहार के दरभंगा जिले में राज्य और जिला-वार प्रदान किए जा रहे प्रशिक्षण का ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या इस संबंध में उनके लिए कोई विशेष शैक्षिक/प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार किया गया है;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या इस प्रशिक्षण को प्राप्त कर रहे युवाओं को प्रशिक्षण अवधि के दौरान वृत्तिका/छात्रवृत्ति/वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है; और
- (ङ) यदि हां, तो विशेषकर गुजरात और बिहार के दरभंगा जिले सहित तत्संबंधी राज्य-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क): गुजरात और बिहार सहित देश भर में दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई) के तहत युवाओं को दिया जा रहा प्रशिक्षण राष्ट्रीय कौशल अर्हता समिति द्वारा अनुमोदित अर्हता पैक्स पर आधारित है। प्रशिक्षण में डोमेन कौशल , कंप्यूटर कौशल , सॉफ्ट

कौशल और अंग्रेजी में प्रदान किए जाने वाले सैद्धांतिक , व्यावहारिक और ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण (ओजेटी) शामिल हैं।

(ख) और (ग): डीडीयू-जीकेवाई के तहत कोई विशेष शैक्षिक /प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार नहीं किया गया है।

(घ): प्रशिक्षण अवधि के दौरान आवासीय या गैर-आवासीय उम्मीदवारों को कोई वजीफा/छात्रवृत्ति प्रदान नहीं की जा रही है। प्रशिक्षण अवधि के दौरान आवासीय और गैर-आवासीय उम्मीदवारों को दी जाने वाली कई सहायता/लाभ प्रकृति में गैर-वित्तीय हैं। हालाँकि , प्रशिक्षण अवधि के दौरान प्रदान किए गए निम्नलिखित दो लाभ आंशिक या पूर्ण रूप से वित्तीय सहायता के रूप में योग्य हैं;

- i. आवासीय प्रशिक्षुओं के लिए 'एकमुश्त यात्रा लागत' (आंशिक रूप से)
- ii. गैर-आवासीय प्रशिक्षुओं के लिए 'भोजन और परिवहन लागत' (पूर्ण रूप से)

डीडीयू-जीकेवाई के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रशिक्षण अवधि के दौरान ऐसी सहायता का विवरण नीचे दिया गया है;

क्र.सं	विवरण (प्रति उम्मीदवार)	3 महीने की प्रशिक्षण अवधि (576 घंटे)	6 महीने की प्रशिक्षण अवधि (1152 घंटे)	9 महीने की प्रशिक्षण अवधि (1728 घंटे)	12 महीने की प्रशिक्षण अवधि (2304 घंटे)
1	आवासीय प्रशिक्षण के लिए एकमुश्त यात्रा लागत: अधिकतम रु. 4,500 या वास्तविक के अनुसार, जो भी कम हो (रुपये में)	4,500	4,500	4,500	4,500
2	गैर-आवासीय प्रशिक्षण के लिए भोजन एवं परिवहन लागत (रुपये में)	11,700	23,400	35,100	46,800

(ङ): डीडीयू-जीकेवाई के लाभार्थियों की जिलेवार संख्या केंद्रीय रूप से नहीं रखी जाती है। बिहार और गुजरात सहित राज्य-वार लाभार्थियों (आवासीय और गैर-आवासीय दोनों) की संख्या अनुबंध-1 में दी गई है।

अनुबंध-1

08.08.2023 के लिए अतारांकित लोक सभा प्रश्न संख्या 3079 के भाग (ड) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	कुल (जून 2023 के अंत तक)	
	प्रशिक्षित	रखा है
आंध्र प्रदेश	105955	88311
अरुणाचल प्रदेश	1000	389
असम	70743	39397
बिहार	74158	37879
छत्तीसगढ़	55636	27595
गुजरात	24071	14059
हरियाणा	40946	30182
हिमाचल प्रदेश	10471	4559
जम्मू और कश्मीर	68491	42349
झारखंड	62741	29754
कर्नाटक	51349	31834
केरल	69122	39348
मध्य प्रदेश	76683	38565
महाराष्ट्र	51087	35295
मणिपुर	5500	1813
मेघालय	5414	2689
मिजोरम	1246	895
नागालैंड	5585	3021
ओडिशा	210854	169189
पंजाब	31067	18031
राजस्थान	68629	34661
सिक्किम	2115	692
तमिलनाडु	62414	58975
तेलंगाना	61641	47033
त्रिपुरा	10147	5524

उत्तर प्रदेश	190262	48043
उत्तराखंड	16763	7503
पश्चिम बंगाल	36850	20578
पुदुचेरी	1044	291
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	298	43
कुल	14,72,282	8,78,497

स्रोत: डीडीयू-जीकेवाई एमआईएस (kaushal pragati .ni c.i n और kaushal bhar at .gov.i n)
